

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ:दिनांक: 01 अप्रैल, 2020

विषय:-विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी covid-19 के परिप्रेक्ष्य में सहायता उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-151एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-2, दिनांक 24.04.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजस्व विभाग के शासनादेश सं0-198/एक-11-2020-रा0-11, दिनांक 24.03.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी covid-19 के परिपेक्ष में विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों के प्रभावित होने के कारण दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूरों आदि के सामने उत्पन्न भरण पोषण की समस्या के दृष्टिगत सहायता दिये जाने हेतु रू0 23500.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त उल्लिखित व्यक्तियों सहायता दिये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 75,000,00,00,000/- (रूपये सात अरब पचास करोड़ मात्र) की धनराशि अग्रिम रूप से जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रू0 में)
1 सहारनपुर	1000.00
2 मुजफ्फरनगर	1000.00
3 शामली	1000.00
4 मेरठ	1000.00
5 हापुड़	1000.00
6 गाजियाबाद	1000.00
7 बुलन्दशहर	1000.00
8 गौतमबुद्धनगर	1000.00

9	बागपत	1000.00
10	आगरा	1000.00
11	मथुरा	1000.00
12	फिरोजाबाद	1000.00
13	मैनपुरी	1000.00
14	अलीगढ़	1000.00
15	एटा	1000.00
16	कासगंज	1000.00
17	हाथरस	1000.00
18	बरेली	1000.00
19	बदायूं	1000.00
20	शाहजहाँपुर	1000.00
21	पीलीभीत	1000.00
22	मुरादाबाद	1000.00
23	रामपुर	1000.00
24	बिजनौर	1000.00
25	अमरोहा	1000.00
26	सम्भल	1000.00
27	कानपुर नगर	1000.00
28	कानपुर देहात	1000.00
29	इटवा	1000.00
30	फर्रुखाबाद	1000.00
31	कन्नौज	1000.00
32	औरैया	1000.00
33	प्रयागराज	1000.00
34	फतेहपुर	1000.00

35	प्रतापगढ़	1000.00
36	कौशाम्बी	1000.00
37	झांसी	1000.00
38	ललितपुर	1000.00
39	जालौन	1000.00
40	हमीरपुर	1000.00
41	महोबा	1000.00
42	बांदा	1000.00
43	चित्रकूट	1000.00
44	वाराणसी	1000.00
45	जौनपुर	1000.00
46	गाजीपुर	1000.00
47	चन्दौली	1000.00
48	मीरजापुर	1000.00
49	सोनभद्र	1000.00
50	संत रविदास नगर	1000.00
51	आजमगढ़	1000.00
52	मऊ	1000.00
53	बलिया	1000.00
54	गोरखपुर	1000.00
55	महाराजगंज	1000.00
56	देवरिया	1000.00
57	कुशीनगर	1000.00
58	बस्ती	1000.00
59	सिद्धार्थनगर	1000.00
60	संत कबीरनगर	1000.00

61	लखनऊ	1000.00
62	उन्नाव	1000.00
63	रायबरेली	1000.00
64	सीतापुर	1000.00
65	हरदोई	1000.00
66	खीरी	1000.00
67	गोण्डा	1000.00
68	बहराइच	1000.00
69	बलरामपुर	1000.00
70	श्रावस्ती	1000.00
71	अयोध्या	1000.00
72	सुलतानपुर	1000.00
73	बाराबंकी	1000.00
74	अम्बेडकर नगर	1000.00
75	अमेठी	1000.00
कुल योग		75000.00
		(रुपये सात अरब पचास करोड़ मात्र)

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

(2) उपरोक्त धनराशि का उपयोग राजस्व विभाग के शासनादेश सं०-198/एक-11-2020-रा०-11, दिनांक 24.03.2020 में उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के भरण-पोषण हेतु सहायता प्रदान किये जाने के लिए लाया जा सकेगा। इस धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन में नहीं किया जायेगा।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(4) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2021 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2021 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05

तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahata.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय=06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 164(1)/ एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-2, तददिनांक।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 5- समस्त कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 6- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय गोयल)

सचिव।